भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 5279

गुरुवार, 25 जुलाई, 2019/3 श्रावण, 1941 (शक)

राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से हुई मौतें

5279. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायणः

श्री चन्द्रेशवर प्रसादः

श्री कार्ती पी. चिदम्बरमः

क्या **सड़क परिवहन और राजमार्ग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच)/एक्सप्रेसवे पर दुर्घटनाओं/दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों की बढ़ती संख्या पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान देश में सड़क दुर्घटनाओं में मरे व्यक्तियों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या सड़क दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए वित्तीय सहायता के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का सड़क दुर्घटना के पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कोई कानून लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कुछ खंडों/एनएच पर अधिक संख्या में मौतों के कारणों का पता लगाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा राजमार्गों पर आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने तथा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क): सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन कैलेंडर वर्षों अर्थात 2015 से 2017 तक के लिए देश में राष्ट्रीय राजमार्गों (एक्सप्रेसवे सहित) पर सड़क दुर्घटनाओं और मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

वर्ष	देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर सड़क दुर्घटनाओं की कुल संख्या	देश में राष्ट्रीय राजमार्गों/एक्सप्रेसवे पर मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या
2015	1,42,268	51,204
2016	1,42,359	52,075
2017	1,41,466	53,181

(ख): कैलेंडर वर्ष 2015 से 2017 तक के लिए देश में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की राज्य-वार कुल संख्या **अनुलग्नक-I** पर दी गई है।

(ग) और (घ): सड़क दुर्घटना पीड़ितों और उनके परिजनों और निकट संबंधियों के लिए मुआवजे से संबंधित प्रावधान देश भर में एक समान हैं और मोटर वाहन अधिनियम, 1988 में दिए गए हैं।

मोटर यान अधिनियम, 1988 का अध्याय X और XI चोट या मौत के मामले में तीसरे पक्ष का बीमा और मुआवजे का भुगतान किए जाने से संबंधित हैं। मोटर यान अधिनियम, 1988 में सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजे से संबंधित किए गए प्रावधान देश भर में एक समान हैं। मंत्रालय ने मुआवजा राशि की समीक्षा की है और अधिसूचना का.आ. सं. 2022 (अ), दिनांकित 22 मई, 2018 के तहत धारा 163क के अतंर्गत मुआवजे की राशि के संबंध में मोटर यान अधिनियम, 1988 अनुसूची-।। को प्रतिस्थापित किया है। संशोधित अनुसूची-।। के अनुसार निम्नलिखित के लिए मुआवजा इस प्रकार है -

(i) घातक दुर्घटनाएं:
मृत्यु के मामले में देय मुआवजा पांच लाख रुपये होगा।

(ii) दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप स्थायी अशक्तता :
देय मुआवजा होगा = [5,00,000 / - X कर्मचारी मुआवजा अधिनियम 1923 (1923 का 8) की अनुसूची-। के अनुसार प्रतिशत अशक्तता।
बशर्ते कि किसी भी प्रकार की स्थायी अशक्तता के मामले में न्यूनतम मुआवजा पचास हजार रुपये से कम नहीं होगा।

(iii) दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप मामूली चोट:
पच्चीस हजार रुपये के निश्चित मुआवजे का भुगतान किया जाएगा।

इसके अलावा, मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 165 (1) के अनुसार, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक या अधिक मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ऐसे क्षेत्र के लिए, जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, उन दुर्घटनाओं की बाबत प्रतिकर के दावों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए गठित कर सकेगी जिनमें मोटर यानों के उपयोग से व्यक्तियों की मृत्यु या उन्हें शारीरिक क्षति हुई है पर - व्यक्ति की किसी संपत्ति को नुकसान हुआ है या दोनों बातें हुई हैं। धारा 165 की उप-धारा (2) राज्य सरकार को उतने सदस्यों को जितना राज्य सरकार उचित समझे, को नियुक्त करने का अधिकार प्रदान करती है। धारा 165 की उप-धारा (3) राज्य सरकार को किसी क्षेत्र के लिए दो या अधिक दावा अधिकरण गठित किए गए हैं, तो उनमें कामकाज के वितरण का विनियमन करने के लिए शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण द्वारा मामलों के निपटान से संबंधित मामला राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर यान (संशोधन) विधेयक, 2017 में एक प्रावधान सम्मिलित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मोटर यान दुर्घटना कोष की सृजन की परिकल्पना की गई है।

(ङ.): यह मंत्रालय राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस विभाग से प्राप्त सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करता है और प्रतिवर्ष "भारत में सड़क दुर्घटनाओं" की रिपोर्ट सार्वजनिक करता है। रिपोर्ट के अनुसार सड़क दुर्घटनाएं अनेक कारणों से होती हैं जैसे कि वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, शराब पीकर/नशे में वाहन चलाना, अधिक भार से लदे वाहन,कम रोशनी, रेड लाइट को पार करना, अति गति में वाहन चलाना, ओवरटेकिंग, नगर निकायों की लापरवाही, खराब मौसम, गलत दिशा में वाहन चलाना, सड़क की खराब हालत, मोटर वाहन की खराब स्थिति, साइकिल चालक की गलती, पैदल-यात्री की गलती आदि हैं।

(च): राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा नीति में जागरुकता बढ़ाने, सड़क सुरक्षा सूचना डाटा बेस तैयार करने, कुशल परिवहन के अनुप्रयोग सहित सुरक्षित सड़क संरचना को बढ़ावा देने, सुरक्षा कानूनों का प्रवर्तन जैसे विभिन्न नीतिगत उपाय रेखांकित किए गए हैं। मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा के मसलो से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। ये शिक्षा, इंजीनियरिंग (सड़कों और वाहनों दोनों), प्रवर्तन और आपातकालीन देखभाल पर आधारित हैं। सड़क परिवहन और

राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए देश के प्रत्येक जिले में जिले के माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति गठित की है।

उपरोक्त के अलावा, मंत्रालय द्वारा सड़क सुरक्षा के संवर्धन के लिए उठाए गए कदमों की सूची नीचे दी गई है:

i जागरुकता पैदा करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के माध्यम से सड़क सुरक्षा पर समर्थन/प्रचार अभियान।

ii गुड स्मारिटन की सुरक्षा के लिए दिशानिर्देश जारी करना।

iii राज्यों में आदर्श ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करना।

iv स्वचालित प्रणाली के माध्यम से व्यावसायिक वाहनों की फिटनेस की जांच के लिए 22 परीक्षण और प्रमाणीकरण केंद्र की संस्वीकृति।

v सरकार ने राजमार्ग प्रयोक्ताओं के लिए एक मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसका नाम "सुखद यात्रा 1033" है। इससे राजमार्ग प्रयोक्ता दुर्घटनाओं सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के गड्ढों और अन्य सुरक्षा खतरों की शिकायत कर सकते हैं।

vi राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क प्रयोक्ताओं के बीच सुरक्षित व्यवहार के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है।

vii सड़क सुरक्षा को योजना स्तर पर सड़क डिजाइन के एक अभिन्न भाग के रूप में बनाया गया है।

viii राष्ट्रीय राजमार्ग की चार लेनिंग के लिए शुरुआत को 15,000 पैसेंजर कार यूनिट (पीसीयू) से घटाकर 10,000 पीसीयू कर दिया गया है।

ix वाहनों के लिए सुरक्षा मानकों में सुधार किए गए हैं।

x राष्ट्रीय राजमार्गों पर ब्लैक स्पॉटों (दुर्घटना संभावित स्थलों) के अभिनिर्धारण और दोष निवारण को उच्च प्राथमिकता दी गई है।

xi मंत्रालय ने सड़क प्रयोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए दोष निवारण प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए अभिनिर्धारित सड़क दुर्घटना ब्लैक स्पॉटों के दोष निवारण के लिए विस्तृत प्राक्कलनों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारियों को तकनीकी अनुमोदन के लिए शक्तियों का प्रत्यायोजन किया है।

xii दिव्यांगों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर पैदल यात्री सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश भी सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को जारी कर दिए गए हैं।

xiii भारतीय राजमार्ग अभियंता अकादमी (आईएएचई) ने सड़क सुरक्षा संपरीक्षकों के लिए एक प्रमाणन पाठ्यक्रम शुरू किया है और 42 संपरीक्षकों के पहले बैच को प्रमाणित किया है।

xiv राजमार्ग पर चलने वाले ट्रक / बस चालकों के लिए नि: शुल्क नेत्र जांच शिविर और चश्मों का वितरण किया जाता है।

xv माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार फाइल संख्या आरडब्ल्यू/एनएच-33044/309/2016 / एस एंड आर दिनांकित 06-04-2017 और 01-06-2017 के परिपत्र के माध्यम से शराब की दुकानें हटाना।

अनुलग्नक-I

'राष्ट्रीय राजमार्गों पर दुर्घटनाओं से हुई मौतें' के संबंध में श्री एम. वी. वी. सत्यनारायण, श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद और श्री कार्ती पी. चिदम्बरम द्वारा दिनांक 25.07.2019 को पूछे गए लोक सभा लिखित प्रश्न संख्या 5279 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

भारत में सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों की कुल संख्या: 2015 से 2017

क्र. सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	2015	2016	2017
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8297	8541	8060
2	अरुणाचल प्रदेश	127	149	110
3	असम	2397	2572	2783
4	बिहार	5421	4901	5554
5	छत्तीसगढ़	4082	3908	4136
6	गोवा	311	336	328
7	गुजरात	8119	8136	7289
8	हरियाणा	4879	5024	5120
9	हिमाचल प्रदेश	1096	1271	1203
10	जम्मू और कश्मीर	917	958	926
11	झारखंड	2893	3027	3256
12	कर्नाटक	10856	11133	10609
13	केरल	4196	4287	4131
14	मध्य प्रदेश	9314	9646	10177
15	महाराष्ट्र	13212	12935	12264
16	मणिपुर	139	81	136
17	मेघालय	183	150	182
18	मिजोरम	72	70	60
19	नागालैंड	30	46	41
20	ओडिशा	4303	4463	4790
21	पंजाब	4893	5077	4463
22	राजस्थान	10510	10465	10444
23	सिक्किम	70	85	78
24	तमिलनाडु	15642	17218	16157
25	तेलंगाना	7110	7219	6596
26	त्रिपुरा	158	173	161
27	उत्तराखंड	913	962	942
28	उत्तर प्रदेश	17666	19320	20124
29	पश्चिम बंगाल	6234	6544	5769
30	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	23	17	21
31	चंडीगढ़	129	151	107
32	दादरा और नगर हवेली	42	46	43
33	दमन और दीव	42	38	36
34	दिल्ली	1622	1591	1584
35	लक्षद्वीप	0	1	0
36	पुदुच्चेरी	235	244	233
कुल		**146133**	**150785**	**147913**

*****